



Phone-0120-2783617

Fax-0120-2783618

E-mail-dfoggzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांक: 3050 /14-1,

दिनांक, गाजियाबाद 02 फरवरी, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
मेरठ वृत्त, मेरठ।

विषय: जनपद गाजियाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-24 (नई सं०-09) दिल्ली-लखनऊ रोड (ए०के०जी० इंजीनियरिंग कॉलेजसे गंग नहर तक) दांयी पटरी) के कि०मी० 27.500 से कि०मी० 33.350, रा०रा० सं०-709 बी० दिल्ली-बागपत रोड (लोनी इंटर कॉलेज के सामने से निकट कैनरा बैंक, लोनी तक) (बांयी पटरी) के कि०मी० 15.600 से कि०मी० 16.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-709 बी० दिल्ली-बागपत रोड (चौधरीयव सिंह द्वार के सामने से निकट आवास-विकास परिषद ऑफिस, मंडोला गाजियाबाद तक) (बांयी पटरी) के कि०मी० 19.300 से कि०मी० 22.200 तक कुल लम्बाई 9.15 कि०मी० एवं 0.4575 हे० संरक्षित वन भूमि तक सड़क के किनारे ओपन ट्रेंच/एच०डी०डी० तकनीक के माध्यम से भूमिगत 125 एम.एम. व्यास की एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं०-FP/UP/PIPELINE/150710/2021 दिनांक 01.01.2022)

संदर्भ:- उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-भा०स०-115/81-2-2022-800 (262)/2022 वन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12.09.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि FCA Guideline के Clause सं०-4.2 के क्रम में इन्द्रप्रस्थ गैस लि० के एच०ओ०डी० के पत्रांक-IGL/PIPELINE/WEST/UP/GHAZIABAD/FOREST/01 Dt. 27-01-2023 द्वारा अवगत कराया है कि खोदी गई ट्रेंच का साईज की गहराई और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा सम्पूर्ण कार्य बिना वृक्ष पातन के एन०एच०ए०आई० को हस्तान्तरित उपरोक्त सड़क मार्गों (मार्गों की पटरियां जो की संरक्षित वन घोषित हैं) के किनारे अधिकारिक क्षेत्र (Within The Existing Row of NHAI) में किया जाना प्रस्तावित है। (प्रति संलग्न)

2. प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल किसी सेन्चुरी/नैशनल पार्क का हिस्सा नहीं है।
3. एन०एच०ए०आई० द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित सड़क का Row संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आप से अनुरोध है कि प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

पत्रांक- /14-1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद